

पांच विन्दुओं की आख्या

१.आवेदक के विरुद्ध कोई भा.वि.सं.तथा दाण्डिक अधिनियम का अभियोग थाना रिकार्ड देखने पर पंजीकृत नहीं है।.....

.....

.....

.....

२.आवेदक की आम सोहरत अच्छी है

.....

.....

.....

३.आवेदक के परिवार के लोगों के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है।

.....

.....

.....

.....

४.दलित के विरुद्ध इनका व्यवहार अच्छा है

.....

.....

.....

.....

५.किसी प्रतिबन्धित संगठन के सदस्य नहीं है।.....

.....

.....

.....

.....

पुलिस प्रपत्र संख्या -४७

आर्म्स लाइसेंस दिये जाने के निवेदन-पत्र पर रिपोर्ट का प्रपत्र

१. प्रार्थी का नाम अभिभावक सहित एवं उम्र.....
.....
२. निवासी सीन स्थायी.....
.....
अस्थायी (निवासी की अवधि).....
.....
३. व्यवसाय.....
.....
४. गांव / मोहल्ला की अनुमानित जनसंख्या
.....
५. फायर आर्म्स लाइसेंस की संख्या ओर उनके वर्गीकरण गांव / मोहल्लों में उलब्ध है।.....
.....
६. क्या प्रार्थी उनके कुटुम्ब का कोई सदस्य या उसी गांव / मोहल्ले में निवास करने वाला उनका घनिष्ट सम्बन्धी के पास फायर आर्म्स का लाइसेंस है यदि ऐसा है तो शस्त्र का विवरण दें।.....
.....
७.(अ) क्या प्रार्थी पूर्व अपराधी है या हिस्टीशीटर है
.....
ब. किसी वर्तमान या पुराने अपराध की वर्गनाख्य विधि विरुद्ध कार्य में लिप्त होना या किसी जाफना फौजदारी में लिप्त होने का वर्णन
.....
स. क्या उसका लाइसेंस कभी निलम्बित या साप्त किया है यदि हां तो कब और क्यों.....
.....
८. क्या प्रार्थी के पास <u>आर्म्स / एम्युनेशन</u> रखने के लिये सुरक्षित स्थान है
.....
९. क्या आग्नेय शस्त्र प्रयोग के लिये पूर्ण रूप से स्वस्थ है
.....
१०. क्या प्रार्थी ने अपराधियों का सामपना करने या किसी मानव जीवन रक्षा या किसी अन्य विशेष जनसेवा में वीरता का परिचय दया है
.....
११. साधारण मान्यता
.....
१२. थानाध्यक्ष की संस्तुति
.....
१३. क्षेत्राधिकारी की आख्या
.....
१४. पुलिस अधीक्षक की आख्या
.....

भाग बी प्रार्थी का अन्य विवरण	
६.क्या प्रार्थी को –	
ए. दोष सिद्ध किया गया है	
यदि हो तो अपराध धारा सहित	
एवं दी गई सजा तथा सजा की तिथि	
बी.दण्ड प्रक्रिया सहिता १६७३ (अधिनियम संख्या २१६७४) के अन्तर्गत शान्ति बनाये रखने अथवा सद्व्यवहार बनाये रखने हेतु बनध पत्र देने के लिये आदेशित किया गया है यदि हो तो कब और किस उसका के लिये ?	
१०.ए. क्या प्रार्थी ने लाइसेंस के लिये पहले भी कोई प्राथना पत्र दिया है यदि हो तो कब और किसको एवं उसका परिणाम	
बी. क्या प्रार्थी का लाइसेंस निलम्बित या निस्स्त /वापस किया गया हां तो कब और किसके दारा एवं किस कारण	
(सी). क्या प्रार्थी के परिवार का कोई अन्य सदस्य किसी आयुध धारक है यदि हो तो विवरण?.....	
११.क्या प्रार्थी –	
ए. एक लाइसेंस धारक अथवा छूट धारक है यदि हा तो धारक किये जाने वाले आयुध का विवरण...	
बी.के पास आयुध रखने हेतु सुरक्षित स्थान है?.....	
सी. एकवेध पयटक है यदि हां तो.....	
१. उस देश का नाम जिससे सम्बन्धित है	
२. क्या वह उक्त राष्ट्र के कानूनों के अन्तर्गत किसी अश्रत्र अथवा शस्त्र को धारण करने से प्रतिबन्धित किया गया है.....	
३. भारत में उसके पहुचने की सम्भावित तिथि.....	
नेट एक वेध पर्यटक की धारा १० एवं नियम ३२ की शर्तो के अधीन उचित मात्रा में प्रयोग हेत मात्र स्पोर्ट के उददेश्य से एवं बिना किसी अन्य उददेश्य के भारत में अस्त्र एवं शस्त्र लाने हेतु अनुमति प्राप्त है ।	
भाग सी. लाइसेंस का विवरण	
१२. लाइसेंस की आवश्यकता	
१३. प्रपत्र जिसमें लाइसेंस वांछित है	
१४. अस्त्र एवं शस्त्र का विवरण	
१५. ए' क्षेत्र जिसमें प्रार्थी उक्त आयुध ले जाना चाहता है	
बी. क्षेत्र जिसमें अस्त्र-शस्त्र निर्यात किये जायेंगे ।.....	

सी. <u>स्थान/आयात</u> निर्यात
एवं दुलाई का मार्ग
१६. अन्य विवरण जो लाइसेंस के
पत्र हेतु सुसंगत हो
१७. विशेष विचार हेतु कोई अन्य दावा
नोट. धारा १२ में प्रर्षी स्पष्ट रूप से प्रयोजन जिसके लिये लाइसेंस आवश्यक है वर्णित करेगा यथा प्रयोग, धारक करना, कब्जे में रखना ले जाना बिक्री टांसुर, मरम्मत कम्बर्ट करना, प्रूफ, अस्ट, आयात, पुनः आयात, निर्यात पुनः निर्यात आत्मसुरक्षा, स्पोर्ट प्रदर्शन, जंगली जन्तुओं को नष्ट करना जो कि मानव / घरेलू पशुओं के लिये घातक हो फसल एवं पशुओं की सुरक्षा टार्गेट प्रोक्टन शुट्टिंग भारत में आये वेघ पर्यटक दारा अस्थायी रूप से अस्त्र धारण हेतु आदि ।
भाग डी. आयात –निर्यात पुनः निर्यात तथा पुनः आयात करने वाले प्रार्थी हेतु
१८. क्या नियम ५०के अन्तर्गत सम्बन्धित पत्रकारिता दारा पूर्व संस्तुति यदि वाछित हे तो प्राप्त की गयी है और यदि हां तो
ब. उसके समर्थन में साक्ष्य.....
उदघोषणा
मैं एतददारा घोषित करता हूं कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में दिया गया विवरण मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्यपूर्ण एवं सही है मुझे ज्ञान है कि उपरोक्त सूचना के गलत अथवा असतय पाये जाने की स्थिति में मैं आयुध अधिनियम १९५६ एवं आयुध अधिनियमावली १९६२ के ब्राविधान एवं अन्य केन्द्रीय विधि या कानून जो उस समय प्रभावी हो के अन्तर्गत कार्यवाही का पात्र हूंगा
<u>हस्ताक्षर/निशानी</u> अंगूठा
स्थान
दिनांक
नेट अनावश्यक प्रविष्टियों को काट दें
चेतावनी प्रार्थना पत्र मे किसी तथ्य को छिपाया या गलत सूचना देना नियम ५१ ए का उल्लंघन जिसके लिये प्रार्थी धारा ३० आयुध अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत दण्ड का पात्र होगा ।